

Advisory Committee for the National Cadet Corps for a term of one year from the date of election, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of Section 12(1) of the National Cadet Corps Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps for a term of one year from the date of election, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.29 hrs.

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill Mr. Ram Lal Rahi was on his legs yesterday. He may continue.

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मान्यवर, कल मैं ने बहुराष्ट्रीय दवायें बनाने वाली कम्पनियों के संबंध में शुरूआत की थी, वैसे मेरा समय समाप्त हो गया था, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मल्टी नेशनल जो कम्पनीज हैं यह काफी तादाद में हैं और काफी सहयोग कर रही हैं हमारे यहां दवाओं के निर्माण में। मैं नहीं कह सकता कि सब काम अच्छा ही अच्छा कर रही हैं। और अगर खराब काम कर रही हैं और नकली

दवायें बना रही हैं तो दुविधा में डालना, क्योंकि जब यह बात आती है कि विदेशी कम्पनियों पर रोक लगायी जानी चाहिए तो वह उत्पादन में गिरावट कर देती हैं जिसकी वजह से दवाओं का अभाव हो जाता है और साधारण जनता को उससे परेशानी होती है। अगर विदेशी कम्पनियों पर रोक लगानी है तो आप तत्काल कोई ऐक्शन लीजिये, लेकिन दवाओं का अभाव पैदा न हो। जहां देशी कम्पनियों में गड़बड़ियां हैं कि नकली दवायें बनाती हैं वहीं विदेशी कम्पनियों की भी शिकायत रही है। सम्भवतः आपको जानकारी होगी दवाओं के नमूने का परीक्षण जब कराया गया 1978-79 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दवाओं के 729 नमूने लिये गये, जिनमें से 66 नकली और घटिया दवाएं साबित हुईं। इसी प्रकार देशी कम्पनियों की 30 परसेंट दवाएं नकली और जाली साबित हुईं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब सरकार के सामने यह रिपोर्ट आई, तो क्या उसने सम्बन्धित विदेशी और देशी कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की; अगर नहीं की, तो मैं यह मान कर चलता हूँ—कल मैंने यह चार्ज भी लगाया था—कि इस बारे में दोषी सरकार और सरकारी मशीनरी है, क्योंकि वह अपराधों को नजर-अंदाज करती है और दोषी लोगों को गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलता है।

मेरा विश्वास है कि देशी औषधियों—आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों—की तुलना में अंग्रेजी दवाओं में मिलावट और नकल कहीं ज्यादा है। इसलिए जहां सरकार उस पर नियंत्रण करे, वहां वह देशी दवाओं के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दे।

[श्री राम लाल राही]

मैं आपका अपनी बात बताता हूँ । मुझे 11 सितम्बर को सीतापुर में वाइरल फीवर हुआ । 60 घंटे तक ऐलोपैथिक दवाएं खाते रहने से कोई आराम नहीं हुआ । जितनी देर दवा का असर रहा, तब तक बुखार उतर गया और बाद में फिर शुरू हो गया । चार दिन तक पेट भी साफ नहीं हुआ । जब मैंने आयुर्वेदिक दवा ली, तभी पेट साफ हुआ और फीवर डाउन हुआ । उसके बाद होम्योपैथिक दवा खाने के बाद फीवर बिल्कुल खत्म हो गया ।

देश के तमाम लोगों, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, को आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी बूटियों पर ज्यादा विश्वास है, हालांकि उनमें भी मिलावट होनी शुरू हो गई है । कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाली सरकारी एजेंसी के च्यवनप्राश में शकरकंदी मिलाई जाती है और लोह आसव में भी मिलावट होती है । कई लोगों ने इस बारे में सरकार को लिखा है, लेकिन पता नहीं सरकार ने उस पर ध्यान दिया है या नहीं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

स्वाभाविक है कि नकली दवायें सस्ती होती हैं । सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि गरीब आदमियों को दवायें सुलभ हो सकें । सफेदपोशों के लिये तो दिल्ली से लेकर गांवों के अस्पतालों तक में दवायें सुलभ हैं । चूंकि गरीब आदमी की समर्थ्य नहीं है, इसलिए वह बेचारा सस्ती दवा खरीदता है, जो कि नकली होती है, और बेमौत मरता है । जरूरत इस बात की है कि नकली और घटिया दवाओं पर सख्ती के साथ नियंत्रण लगाया जाय ।

जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद और यूनानी का संयुक्त बोर्ड नहीं होना चाहिए ।

आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण एक क्षेत्र में होता है और यूनानी दवाओं का निर्माण एक क्षेत्र में होता है । दोनों के लिये अलग अलग बोर्ड बनाये जाने चाहिए । ऐसा करने से आपको अधिक सुझाव मिल सकेंगे, अधिक सुविधा और सहूलियत भी रहेगी ।

मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसी का ही सारा कसूर है जो आज यह नकली दवायें बन रही हैं । जब मैं यू० पी० की एसेम्बली में था तब मैनडैक्स से कई लोगों के मरने की खबर आई थी भले-भले परिवार के लोगों ने मुझे बताया था कि उन के लडके मैनडैक्स को गोलियां खाते हैं और नश में चूर रहते हैं उस समय मैं ने हैल्थ सैक्रेटरी को और मिनिस्टर को लिखा था कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, मैनडैक्स की गोलियां नहीं बिकनी चाहिए । पता नहीं कौन सी बीमारी में इन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है ? मैंने केन्द्रीय सरकार को भी लिखा था । हो सकता है उस पर कोई कागजी कार्यवाही भी हुई हो लेकिन मैनडैक्स की गोलियां पर कोई नियंत्रण नहीं किया गया है । आज नकली दवा के नाम पर शराब बिक रही है । जहरीले पदार्थों को मिलाकर शराब बनाई और बेची जा रही है । इस प्रकार से जनता का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है । जिनको शराब नहीं मिलती है उन्हें मैनडैक्स मिल जाती है । उसको खा कर लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं । एक मेरे मित्र हैं श्री चन्द्र मोहन आनन्द, उनके भाई को मैनडैक्स की आदत पड गई । उसकी आदत इतनी बढ गई कि उसने लाखों की सम्पत्ति नष्ट कर दी । और अन्त में एक दिन रेल गाडी के आगे आकर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया । इसलिये इस मैनडैक्स पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । यदि आप

महसूस ही करते हैं कि इसको बेचना लाजमी है तो जहां-जहां आप इसको बिकवायें यें वहां पर इसकी बाकायदा लिखा-पढी होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मैं ने इस बात का भी सुझाव दिया था कि ब्रैंड को समाप्त किया जाना चाहिए लेकिन अभी तक उसको समाप्त नहीं किया गया है । ब्रान्ड के नाम पर, विदेशो कम्पनियों में ख़ास तौर पर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । इस लिये ब्रैंड को समाप्त किया जाना चाहिए । इन बातों से निश्चित रूप से कुछ सुधार आयेगा ।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक जो यहां पर पेश किया गया है वह निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है । बहुत पहले हाथी कमेटी ने इस बात को सोचा था और उसने भी रेकमेंडेशन की थी कि कोई ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए । माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने तीन साल के कार्य-काल में यह अनुभव किया, जैसा कि उन्होंने कल अपनी स्पीच में बताया, और ऐसा विधेयक वे लाए हैं । देश में चारों तरफ नकली दवायें बिक रही हैं । हर स्थान पर डुप्लीकेट दवायें दिखाई दे रही हैं, यह निश्चित ही मानव के लिए और पूरे समाज के लिए एक घोर कलंक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत बीस वर्षों में हमारे देश में चारों तरफ नकली दवाइयों और नकली प्रसाधन सामग्री की बहुतायत हुई है । यह बहुत ही अजीब सी बात है ।

यह तो मैंने आपको पिछले बीस वर्षों के बारे में बताया, लेकिन पिछले आठ वर्षों, सन् 1972 के बाद इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बम्बई में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है कि इससे जिससे समस्त नैतिकता और मानव जीवन खतरे में है । मैं इस संदर्भ में 27 मई, 1981 की घटना का जिक्र करना चाहता हूं । 150 व्यक्ति कानपुर के अस्पताल में बीमार हुए, जिसमें 142 लोगों को मृत्यु हो गई । वहां के डाक्टर के अनुसार यह घटना नकली ग्लूकोज देने की वजह से हुई है । 25 मार्च, 1982 को दिल्ली के अन्दर, जैसा कि समाचार पत्रों में खबर है, नकली दवाओं का बहुत बड़ा कारखाना पकड़ा गया है । मैं इसकी आपको कुछ लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—'पुलिस ने इस कारखाने में छापामार कर दस लाख गोलियां, दो लाख दवाइयों के भरे कैपसूल, 50 हजार खाली कैपसूल, मशीनें, ब्लाक, विभिन्न कंपनियों के नाम के छपे हुए लेबल और सीलें बरामद की हैं । पुलिस ने एक ऐसी मशीन भी बरामद की है, जो दिन में पांच हजार से अधिक कैपसूल बनाती थी । बरामद की गई दवाइयां हैं—स्पैट्रान, वीकोसील, प्रैडनी सोलोन, डैक्सामाथसोन, सी० पी० एम० गोलियां, पैरासीटामोल, टैट्रासायक्लीन, क्लोरोक्वीन आदि ऐसी अनेक दवाइयां थी जिनके लेबल असली दवाइयों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं । एनलजीन नावलजीन जैसी आम दवाइयों में तो भद करना मुश्किल है ।

माननीय मंत्री जी ने जो बिल सदन में पेश किया है, उसी के संदर्भ में मैंने आज से ढाई साल पहले बनारस में एक बहुत बड़ा एहसान मैडिकल हॉल है, जहां से दो दवाइयां खरीदी थी, जिसकी एक शीशी में मच्छर पाया गया । एक में मक्खी पाई गई । यह शीशी अब भी मेरे पास है । यदि कोई माननीय सदस्य देखना

च होते हैं, तो देख सकते हैं। इस बात को मैंने हाउस के अन्दर रखा था। यह दवाई मैंने अक्टूबर य. नवम्बर, 1980 को, जो ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज, बम्बई की है, 115 मिली. की खरीदी थी इसी के साथ एक दूसरी मैडिसीन सूर्या कैमिकल्स डालीगंज-नखनऊ, क्लोरोफार्म स्प्रीट की बोतल खरीदी थी। वह बोतल बड़ी होने के कारण में यहां नहीं लया हूं। उस बोतल में भी मखी पायी गयी है। उसी दिन मैंने, मंत्री जी सामने बैठ हुए हैं, उनको पत्र लिखा था और कहा था कि दवाईयों की बोतल में मखी और मच्छर पया गया है। इसलिए इसकी जांच की जाए। इसके बाद 20 नवम्बर, 1980 को बंगाल कैमिकल फार्मस्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड पर बहस हो रही थी। इत्तफाक से मुझे उसमें बोलने का मौका मिला। उस वक्त भी मैंने बात का जिक्र हाउस में किया था। उस समय के तत्कालीन मंत्री, श्री पी. सी. सेठी, ने यह कहा कि यह संसद सदस्य के जीवन का मामला है और इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी। उसी समय श्री अब्दुलगनी खां चौधरी ने यह कहा था कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। उस वक्त आप ही चेयर पर बैठे हुए थे और आप को स्मरण होगा कि इस मामले को लेकर इसी सदन में काफी विवाद हुआ था। उसके बाद पांच मास तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। इतनी लम्बी प्रतीक्षा के बाद 29-7-81 को स्वास्थ्य मंत्री जी आपको एक पत्र आया जिस को पढ़ कर मैं आज आप को ही सुनाना चाहूंगा। मैं वह पत्र भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो मैंने आपको लिखा था। इन पत्रों से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार

की कार्रवाई आपकी सरकार कर रही है। मेरा पत्र जो 27 मार्च 1981 का आपको भेजा था वह इस प्रकार था:

“20 नवम्बर 1980 को बंगाल कैमिकल्स के अधिग्रहण पर हो रही चर्चा के दौरान ग्लैक्सो कम्पनी द्वारा पैरीटान एवं सूर्या कैमिकल द्वारा क्लोरोफार्म स्पिरिट की बन्द बोतलों में चोटा और मखी पाए जाने की चर्चा हाउस में की गई थी। इस सम्बन्ध में मैंने सूचित किया था कि उक्त दवाएं मैंने खरीदीं और इस में इस प्रकार की चीजें मिली जो एक संसद सदस्य के जीवन और मौत का विषय रहा है।

आपको स्मरण होगा कि हाउस में इस रहस्योद्घाटन पर काफी हंगामा हो गया। मांग भी हुई कि तुरन्त इन कम्पनियों की दवाओं को सील कर दिया जाए। हंगामे के बीच तत्कालीन रसायन मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि इसे सरकार एक गम्भीर मामला मानती है और इस मामले पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। खेद है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 27 नवम्बर 1980 को मैंने आपको भी पत्र लिख कर इस केस से अवगत कराया। नियम 377 के अन्तर्गत भी यह मामला सदन में उठाया गया और आज तक कुछ भी पता न चला। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार भी इस मामले को टालना चाहती है। मैंने कल दिनांक 26 मार्च 1981 को भी आप से हाउस में कहा। आपने तुरन्त जांच करने का आश्वासन दिय। अध्यक्ष जी, आज तक जांच नहीं हुई। चार महीने के बाद मंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया जो मैं सुनाना चाहता हूं।

“खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकार का है और इस प्रकार जो कुछ भी कार्यवाही करनी हो वह संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से करनी होती है। महाराष्ट्र सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज बम्बई खाने की औषधियों के निर्माण में अच्छी निर्माण पद्धतियों का पालन कर रही है तथापि फर्म को सलाह दी गई है कि वह पूर्ण स्वच्छता बनाए रखे और आपके द्वारा बताई गई मद के उत्पादन से संबंधित प्रवेश अनुभाग में वायु बंध व्यवस्था करे।”

जब यह स्थिति है तो कैसे कहा जा सकता कि आज जो बिल विचाराधीन है उसे जो वास्तविक मकसद है वह पूरा हो सकेगा। जो उत्तर आया है उससे पता हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ग्लैक्सो कम्पनी पर विश्वास करती है और सद सदस्य जो सदन में मच्छर वाली बाई पेश करता है उस पर विश्वास हीं करती। समझ में नहीं आता है कि आज जो बिल पेश किया गया है क्या उसे पहले आजादी के 35 साल तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि ऐसी कम्पनियों को सजा दी जा सके? निश्चय सजा की पहले भी व्यवस्था थी और कम्पनी को सजा दी जा सकती थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफसरशाही, प्रोक्रेसी कहां जा रही है। क्यों नहीं ग्लैक्सो कम्पनी और सूर्या कैमिकल कम्पनी को छोड़ा गया। एक साल के अन्तराल के बाद मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि उस कम्पनी का एजेंट मेरे पास आया और स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं कि उनको मैंने बताया भी था कि उसने कर मुझे चालीस हजार रुपये घूस देनी ही थी ताकि मैं इस मामले को हटा दिया जाय वापिस ले लूँ। मैंने तत्काल कहा था

कि ऐसी घूस, ऐसे पैसे को मैं लात मारता हूँ यह मेरा सवाल नहीं है भारत की सत्तर करोड़ जनता का सवाल है।

स्पीकर साहब से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने इस मामले को याचिका समिति को सौंप दिया था। खेद है कि याचिका समिति में भी यह मामला तीन चार महीने तक ऐसे ही विचाराधीन पड़ा रहा। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि वह इस मामले को भूले नहीं, इसको याद रखा। अचानक मैं उनके यहां किसी काम से गया। तब उन्होंने मुझ से पूछा कि आपके दवाई वाले मामले का क्या हुआ। मैंने नहीं बल्कि उन्होंने अपनी ओर से यह पूछा। मैंने समझा कम से कम उनको याद तो है। मैंने उत्तर दिया कि इस मामले को आपकी ब्यूरोक्रेसी खा गई है। आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मंत्री जी ने तुरन्त ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया से कहा, और मुझसे कहा आप इत्मीनान रखें मैं इसकी अविलम्ब जांच कराऊंगा और दोषी पाये जाने पर निश्चित ही सजा दी जायेगी। मुझे इत्मीनान हुआ कि यदि एक मामले में गहराई से कार्यवाही हो गई होती तो औरों की हिम्मत नहीं होगी गड़बड़ करने की। मंत्री जी ने लिखा भी। मेरे यहां एक पत्र आया ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया का कि 15 दिन के अन्दर आप दवायें, शीशी और पचियां या और जो कुछ आपने खरीदा हो उसको हमारे हवाले कर दें, या कोई समय बतायें ताकि हमारा आदमी आपके यहां से ले आये। कम से कम ड्रग कंट्रोलर को सोचना चाहिये था

[श्री राजनाथ सेनवर शारत्री]

कि इस समय सेशन नहीं चल रहा है, बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो गरीबी की रेखा से निकल कर आये हैं, गांवों से आये हैं और सत्रावसान के समय अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां रहते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ जो यहां रहते हैं। मैं दो माह से अपने क्षेत्र में था। नतीजा यह हुआ कि पत्र की डेटे वगैरह निकल गई, अब मुझे शक है कि अगर मैं बोलत आदि दूँ भी तो वह कहेंगे कि अब तो इसकी ऐक्सपायरी डेट भी निकल गई और पुरानी पड़ जाने पर इसमें वैसे ही मच्छर, मक्खी पैदा हो सकते हैं। तो जब अधिकार है और कर्तव्य है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो उसके स्वार्थ की लिप्सा और अकर्मण्यता इसमें अवश्य है।

इस बिल के द्वारा मंत्री जी का मकसद अच्छा है लेकिन एक उदाहरण दे दूँ, छोटा सा एक केस है उसके कागज अभी मुझे यहां नहीं मिल रहे हैं, मैं मंत्री जी को भेज दूँगा, एक ग्रोवर कम्पनी है, हमारे एक अधिकारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 1978 में लखनऊ भेजे गये, इस बात को कल श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी उठाया था, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें छोड़ दी थीं, मैं उस मामले के बारे में आपको बता दूँ। वह अधिकारी यहां से गया और वहां जा कर उसने डेढ़ साल तक सत्य और निष्ठा के साथ अपना काम किया। ग्रोवर कम्पनी का आदमी उनके यहां पहुंचा और उसने कहा ग्लूकोज बनाने के लिये हमें लाइसेंस दे दीजिये। ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया का निर्देश था, कुछ उसमें परिस्थितियां थी, उसके मुकाबले उनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। उस अधिकारी ने कहा कि

आपको इन कारणों से लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। फिर नतीजा क्या हुआ कि एक ईमानदार आदमी जो नकली दवा बनाने के लिये लाइसेंस नहीं देता है उसका मुअ्तल कर दिया गया। चूंकि उसकी सेवा टेम्पोरेरी थी इसलिये समाप्त कर दी गई यदि वह कुछ रुपये घूस ले कर लाइसेंस दे देता तो वह आदमी पक्क और ईमानदार माना जाता। लेकिन चूंकि उसने लाइसेंस नहीं दिया इसलिये उसको हटा दिया। जब उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहां सारे का सारा मामला देखकर यह पाती है कि यह आदमी निर्दोष है सी० वी० आई० से भी जांच कराई गई उसने भी साफ लिखा था कि यह मामला ग्रोवर कम्पनी का ही है, इसका वजह से ही उसको टर्मिनेट किया गया है उसके बाद उसको बहाल किया गया और दूसरी जगह पर रखा गया। जब उसका प्रमोशन का सवाल आया तो उस विलो योग्यता वाला व्यक्ति वहां लाइ लगाये बैठा है और ईमानदार को यह मौका नहीं दिया जा रहा है। आज यह स्थिति है

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप लाख कानून बनाइये, लाखों बार उसमें संशोधन कीजिये, आप मेहनत कर रहे हैं, सोचते हैं पब्लिक हित में आप का काम कर रहे हैं, आपकी भावना है कि देश व जनता के हित में काम करेंगे और उस लिये आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है लेकिन जब तक आप इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं करेंगे, जब तक इन अफसरों की नकल आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

इस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 5 में लिखा है —

“निरीक्षक को यह शक्ति देने का उपबंध है कि वह किसी ऐसे यान, जनयान या अन्य सवारी को रोक सके और उसकी तलाशी ले सके।”

मैं लेने तो गया दवाई और मिल गया मक्खी और मच्छर। इन्स्पेक्टर भी गये तलाशी लेने के लिये, तो उन्हें न मालूम क्या मिल गया, यह आप जानें मंत्री जी जानें और यह कागजी विधेयक जाने। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निरीक्षकों को अब तक शक्ति नहीं थी ?

एक देहात का रहने वाला व्यक्ति है, वह आर० एम० पी० वगैरह की डिग्री लिये बैठा है वहां छोटे-छोटे निरीक्षक जाते हैं और कहते हैं कि तुम गलत दवाई बेचते हो। एम० बी० बी० एस० डाक्टर देहात में जाने को तैयार नहीं है तो क्या वह इस प्रकार से ब्लैक मार्केट नहीं करेंगे ! मैं ऐसी तख्ती देने के विरुद्ध हूँ, ऐसी तख्ती न दी जाये, बल्कि जिले में एक ऐसी ईकाई स्थापित की जाये जो तुरन्त जाकर ऐसे कामों का निरीक्षण करे। हस्तियों और ड्रग हाऊस में दवाओं का निरीक्षण करें। इसी में एक और क्लज है—

“एक नए आज्ञापक उपबंध का अंतःस्थापन जिससे कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी अनुज्ञप्ति का धारक है, ऐसे अभिलेख रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जो विहित किए जाएं बनाए रखना तथा उन्हें संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष तब जब उनकी अपेक्षा की जाए, पेश करना बाध्यकर हो जायें।”

रजिस्टर क्या वह चैक करेगा ?

मैं मंत्री जो से कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के हर काम के लिये एक रजिस्टर है और हमेशा जिला लैबल से लेकर सुप्रीम-कोर्ट तक में रजिस्टर पेश किये जाते हैं। कहां कहां यह रजिस्टर पेश किये जायेंगे 142 आदमी जो नकली गुलुकोज चढ़ाने से

कानपुर में मर गये, क्या यह रजिस्टर उनको बचवायेंगे ? इस पर प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये।

इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। इसके पेज 26 में लिखा है कि ऐसे अपराधियों को क्या दंड दिया जायेगा और इसके क्लज एक में दंड की व्यवस्था की गई है।

“ऐसी औषधियां जो मानक क्वालिटी की नहीं हैं और जिनसे मृत्यु हो जाने या रोगी के शरीर को ऐसी हानि होने की संभावना है, जो गम्भीर क्षति की कोटि में आएंगी, विनिर्माण या विक्रय के लिये कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा तथा कम से-कम दस हजार रुपये जुर्माना।”

40 हजार रुपये घूस तो हमें दिया जा रहा था, मक्खी पाने पर, अगर 10 हजार रुपये जुर्माना ही किया जायेगा तो क्या बिगड़ जायेगा ?

मैं कहता हूँ कि इसमें साफ लिखा जाना चाहिये कि जो व्यक्ति नकली दवाएं बनाए या इस प्रकार की फोर्जरी करेगा, उसको मौत की सजा होगी। पांच या दस हजार रुपए का जुर्माना काफी नहीं है। चालीस हजार रुपया तो हमें मिल रहा था।

13 hrs.

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) :
देने वाले को पकड़वाया नहीं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
मैंने सोचा कि मंत्री महोदय इस बारे में स्वयं कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मैं मंत्री महोदय की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि हाथी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर इस बिल को इस सदन में लाए

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

और हमको इस पर बोलने का अवसर दिया । लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बिल में जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए ।

इस देश में आज नकली दवाओं और फर्जी डाक्टरों की वजह से आम लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है । एक डाक्टर के बारे में सुना है कि एक प्रेगनेन्ट औरत उनके यहां एम. टी. पी. के लिए गई । वहां पर उसे परिवार-नियोजन की कुछ दवा दी गई, जिससे वह मर गई । मैं मंत्री महोदय को इस केस के बारे में लिख कर भेज दूंगा । ऐसे डाक्टरों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ? जनता के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए यह बिल जरूरी था, जिसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । लेकिन इसके साथ साथ जो और दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

गवर्नमेंट के जो कर्मचारी तत्परता से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए । मैंने लखनऊ के एक कर्मचारी, श्रीवास्तव का उदाहरण दिया है । ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को डिपार्टमेंट से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए ।

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirteen minutes past fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL—Contd.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North): Mr Deputy-Speaker, Sir, I support the objects of the Bill that my hon. friend, the Health Minister has placed before the House. They are utterly unobjectionable and highly laudable. The problem of adulteration of drugs has now become a very grave problem for the public health for the people of our country. The production of spurious and sub-standard drugs has posed a very serious threat to the people of our country, and the public health of our country. But the main prescription, the main recipe that my hon. friend has incorporated in this Bill is to revise the scheme of penalties and provide more stringent and deterrent penalties.

It is true that there has been universal public indignation at the deaths caused by spurious drugs, at the deleterious effects of these drugs, at the impotence of some of these drugs, and the enormous and infructuous expenditure that the people of India have to incur because of the sub-standard nature of some of these drugs, because of the efforts to exploit the credibility, the gullibility of the people of our country by high-pressure advertising in which some manufacturers indulge. Sir, there has been a unanimous expression of indignation in this House, a unanimous expression of the intensity of the feeling of the House on this question; and, therefore, I must congratulate my Hon. friend for taking cognisance of this indignation and introducing this Bill. Sir, every section of the House has told him that it will support any measure that the Government wants to take to ensure the elimination of spurious, adulterated and sub-standard drugs from the

market and to plug loopholes in the production and marketing of these drugs.

But the first question that arises in our minds is whether the Hon. Minister can claim that all the provisions that already exist in the law have been fully utilised by him to prevent the manufacture and sale of spurious, adulterated and sub-standard drugs? If he can not, can it be said there is an unquenchable thirst for more and more power? I am sorry to use these words, because it appears that there is a feeling in the Government's mind that these laudable objects can be achieved only by increasing penalties. Is it the absence of high penalties that is responsible for the present state of affairs? Is deterrent punishment the only remedy? Legislation to provide for deterrent punishments does not absolve the Government of the responsibility to implement the provisions of the Drugs and Cosmetics Act of 1940. My Hon'ble and distinguished friend, the Member from Panskura, yesterday very ably explained to the House how the failure of the Government to implement, and make use of the existing provisions is largely responsible for the present state of affairs?

But to implement the provisions that already exist you need an effective, efficient and competent machinery. You need a method that enables you to detect and plug loopholes at the source of the problem. And above all, you need the will to see that the offenders are tracked down, that merchandise in these spurious death-dealing drugs is detected, sequestered and destroyed. The changes in the Statute Book, I am afraid, will not enable you to fulfil your objectives. Therefore, I want to ask the Hon. Minister: Do you have an effective, efficient and competent machinery to do it? Is the existing machinery adequate in numbers, in qualification in the will to inspect, to check, to get an adequate number of samples taken, to get an adequate number of tests conducted,

to launch prosecutions and secure convictions? Can my Hon. friend say that he has made use of the existing provisions and the machinery at his disposal to ensure whatever is possible within the power that have been given to him under the existing Act? If he cannot, say that; if there is failure and inadequacy in the machinery, if the powers that have been given to him by the House have not been fully utilised by him, and if these failures are responsible for the present state of affairs, it is necessary for him to be introspective and to correct the existing mistakes in his own administration, rather than to come to this House and ask for unlimited powers and deterrent punishments.

Now, Sir, you need this machinery for constant monitoring and control; you need facilities for analysis in every State. The Hon. Minister has himself admitted in answer to a question, there are only four States in India—Sir, I do not want to name them. Naming is your privilege—....

MR. DEPUTY-SPEAKER: We don't also do that.

SHRI RAVINDRA VARMA... which have the facilities for immediate, full and complete analysis. Now, Sir, there is necessity for liaison between the Central Drug controlling authority and the State Drug controllers, between the Drug controlling authority and the Police. Sir, what is the state of inspections today?

Let us, for instance, look at the inspection of the quality of imported bulk drugs. In 1979, April to October, we imported Rs. 120 crores worth of bulk drugs. There were 2960 samples drawn. Of these, 18 were found to be of sub-standard quality. In 1980, for the same period, Rs. 64 crores worth were imported, 1783 samples were drawn and 30 were found to be defective. In 1981, for the same period, Rs. 73.64 crores worth were imported, 1539 samples were drawn and 38 were found to be sub-standard.

[Shri Ravindra Varma]

Now, two questions arise. One sees that the number of samples drawn is going down, and one also sees that the number of sub-standard drugs detected, is going up. Is it not something which should make the hon. Minister look into the state of the machinery at whose head he is? These bulk drugs are imported into this country by the STC. It is a public sector undertaking, for which the Government is responsible. Wherefrom are these sub-standard drugs imported through the STC? When the number of samples that you draw is going down and yet these samples are revealing an increasing number of sub-standard drugs, what action have you taken? From what country, from which multinationals are you importing? What have you done with these sub-standard drugs which the STC has imported—rectified them, returned them or destroyed them?

A Sub-Committee of the Consultative Committee, in the '70s, did point to this. The IDPL, again, is a public undertaking. It is known that in some cases, it does not have the technology to produce drugs of the requisite standard. Now, the Drug Controller, who is at the head of this department of the administration, is a member of the Board of IDPL as well as of the Hindustan Anti-Biotics Ltd. What is he doing there, to prevent the manufacture of drugs of sub-standard quality?

Now I turn to the question of the inspection of manufacturing units. I talked of the inspection of imports. Now I want to talk of the inspection of manufacturing units. The inspection of manufacturing units during 1979, for the same period, was 597. Prosecutions launched were ten. In 1980, inspection of manufacturing units in the whole of India was 366. Prosecutions launched were five. In 1981—I am afraid the hon. Minister himself might have a shock, unless he has become shock-proof by now — the inspection of manufacturing units fell to 34, and the number of prosecutions launched,

to four. There is undoubtedly a progression, but a progression in what direction? From 597 in 1979, you have come down in 1981, for the same period, April to October, to 34. I am not very good at mathematics. But it is an appalling rate of recession as far as inspection is concerned. What does it show? Why has the number of inspections gone down, and why has the number of prosecutions launched gone down? If you have a machinery, and it is a competent machinery, then it must be because you have no will to do it.

Prosecutions launched, and the convictions obtained were referred to yesterday by my hon. friend from Hooghly, Mr. Pal. He gave statistics which give tell-tale evidence of gross inefficiency, inadequacy and lack of will. Unfortunately, he chose a wrong State. I do not want to refer to that State, Sir, when you are there.

Is it that the existing penalties are not severe or deterrent? Is it the case of the Government that the administrative machinery lacks the incentive to be efficient, because the penalties are not deterrent enough? If that is so, it is a strange and perverted set of incentives that the hon. Minister is trying to promote.

Now I come to the question of administration that is, the Drug Controller and the State Drug Controllers. Again, my hon. friend from Panskura, Mrs. Geeta Mukherjee referred to this subject at length. So, I will not go into it in detail. The qualifications have not been prescribed. You may know, Sir, because you know most of these things; but you will certainly recall, with some kind of surprise, the fact that in some States, IAS and IPS officers are appointed as Drug Controllers. What kind of medicines do the police administer? They have no medical or pharmaceutical training or experience. Many posts are vacant. My colleague referred to it yesterday. Wide powers or wider powers should not result in harassing the small indigenous manufacturers, the manufac

urers of Ayurvedic, Unani and Sidha medicines, as my hon. friend from Madras Central, Kalanidhi said yesterday. I want to tell my hon. friend that if he takes more powers and uses them to harass small units and to let the big ones escape his net, then he will not be serving the cause, either of self-sufficiency or Indian public health. It is good that he has mentioned Ayurvedic medicines in this Bill. Control is necessary. I welcome the provision for their representation on the Drugs Technical Advisory Committee.

The market for Ayurvedic drugs is expanding, for Indian indigenous drugs is expanding not only in this country but even outside. I know his interest in indigenous drugs. I have talked to him about this. I have been impressed by his genuine concern for the development and promotion of indigenous systems of medicine. I would therefore like to ask him to have a second look to ensure that nothing that he does leads to discouragement for manufacturers of indigenous medicines; nothing saddles them with heavy handicaps.

Now you have informed a wide definition of spurious drugs, adulterated, mis-branded drugs, etc. Why have you not included the other recommendations of the Hathi Committee? The hon. Minister yesterday referred to the Hathi Committee and said: "One of the reasons for introducing this Bill is to ensure that some of the recommendations—I should have added in parenthesis selective recommendations of the Hathi Committee—are given effect to. Why was the opportunity not availed of by my hon. friend to revise the Act adequately and thoroughly. I do not know why? He will say that he did not have enough time. The Hathi Committee had recommended that the authority to issue licences for the manufacture of drugs should not vest in an individual, but should vest in a Licensing Board consisting of the Drug Authority of the State concerned, of the States in the region and a senior representative of

the Drug Control Authority of India. What prevents my hon. friend from introducing a clause in this Bill to ensure that such a Licensing Board is set up? The present situation results in anomalies both in licensing and manufacture and in import and in the decisions to allow the sale or manufacture or the removal from the market of certain drugs. I can give one or two examples. I do not want to go into details, because I am conscious of the fact that there is not much time.

Recently, a license has been issued to a firm for the manufacture of a combination drug of Ritarnpicin and INH. A concern in Madhya Pradesh has been given this permission. This combination has been proved by different drugs administrations in the world, but it is said that because of the opposition of the TB Association, it is not possible to allow more units to manufacture this very important medicine important in the fight against TB and other diseases. There must be a common policy for this country. You cannot say one concern will be allowed to manufacture it in Madhya Pradesh but Tamil Nadu will not be allowed to make it because the headquarters of the TB Association happens to be in Madras. I am only referring to Tamil Nadu as an example. It applies to all parts of the country. Why this exception?

The Hathi Committee's recommendations on testing, on the number of Drug Inspectors, training, legal-cum-intelligence cell, etc., I am sure, the hon. Minister knows about them. But I see no effort on his part to incorporate, wherever it is possible, these recommendations in the Bill.

Now, the Hathi Committee recommended that a number of basic drugs should be sold under their pharmacopoeia names and not under their brand names, because this is one way in which multi-nationals fleece the population of the third world. I hope he does not flinch at the use of the word 'fleece'.

[Shri Ravindra Varma]

In 1978, the Government announced that this recommendation of the Hathi Committee would be accepted and enforced in the case of five drugs including Analgin. Many multi-nationals defied the might of our Government and persisted in marketing these branded drugs. Indigenous producers are at a disadvantage when this is done. Hoechst, one of the multi-nationals went to the Delhi High Court. It was held that this order could not be enforced because there was no provision in the existing Act to prevent them from marketing their products as branded drugs. Sir, if this is the case and a legal lacuna has been pointed out, that makes it difficult for indigenous manufacturers to market the produce, why is it that my hon. friend, who, I am sure shares our anxiety to see that indigenous manufacturers are given justice, has not introduced a provision to remove the legal lacuna that has been pointed out by the High Court?

Now, I refer to the new provisions in this Bill. My hon. friend says that there are two new provisions. One is the definition of 'spurious drugs'. I am very conscious of time. Therefore, I do not go into details. But, Sections 5 and 13 which are to substitute Sections 9, 17, 17A, 17B, 17C etc., in the present Bill go to the extent of saying that if the approved colour is not used, — of course, I am aware of the danger that it will give a different impression; — but even colour in many cases has been made a reason to brand the drug as spurious, adulterated or sub-standard! This is perhaps necessary but when this is linked with the new kind of penalties....
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Some times colour is also spurious.

SHRI RAVINDRA VARMA: Yes. We should be colour minded as far as TV is concerned, but we should not be

colour conscious as far as pigmentations is concerned. 'Colour' itself has many colours. I shall leave it there.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): We should not be colour blind

SHRI RAVINDRA VARMA: Yes; we should not be colour blind. I am always willing to accept suggestions that come from my hon. friend from Hajipur.

When this definition is linked with the scale of penalties, then it creates a very serious situation. I hope my point is clear to you. When the definition is widened to this extent, and then you link it with a revised scale of deterrent penalties, it may sometimes mean, if the Government is serious and wants to enforce or mis-enforce, it may mean a grave miscarriage of justice in that, small people may be caught hold of and the guillotine may be applied to them, while the big people will grease their way out of trouble. The multi-nationals will grease their way out of difficulties. Only smaller fry will be caught and my hon. friend's hammer will fall on their heads.

Now, Sir, there is another provision in this Bill which I do not call 'obnoxious' only because this Bill is a bill to deal with public health and the enemies of public health. Therefore, I do not call it obnoxious. Otherwise, it should be called thoroughly obnoxious and objectionable. This is a new provision which he wants to introduce about summary trial. The new provision 36A means that there must be compulsory summary trial; and in the summary trial you can sentence a person to one year summarily. Now somebody may go and catch hold of a poor fellow in the rural area, who does not have a multi-national behind him, catch hold of him, threaten him, produce him before a summary court and sentence him to one year. I am in favour of prescribing deterrent punishment. I am for making it obligatory to give deterrent punishment including imprisonment. I am for every effort to expedite the trial

But do not take away or abridge the due processes necessary to prove guilt and the due processes which will enable a man to prove his innocence.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): Some people will escape.

SHRI RAVINDRA VARMA: Well, you have to have a balance. I am expressing my view. My hon. friend is quite competent to argue his case.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. You will be called to give your opinion on this Bill. Please wait till then.

SHRI RAVINDRA VARMA: Again, this is not the case of a single swallow making a summer. This is a deliberate policy of the Government sitting opposite. Whether it is the Essential Services Maintenance Act, or any other of the recent bills passed by Parliament, there is always an attempt to short circuit the judicial process, to prescribe summary trials for everything including for workers who are suspected to have done something which may result in the retardation of production, as the Essential Services Maintenance Act provides.

Now, I will refer to the question of imports. I do not want to go into all the clauses. But the Hathi Committee recommended that the import of drugs which are not generally regarded as safe or efficacious should not be allowed. It also recommended that even in the case of patent or proprietary medicines, their imports should not be allowed unless "there is displayed in the prescribed manner on the label of the container thereof the true formula or the list of ingredients together with quantities thereof." Why has the hon. Minister not introduced such a clause in the Bill? I do not want to ascribe any motive to him. But the multi-nationals and their products are imported into this country left and right. Do you not want to make it compulsory and obligatory for them to say what are the ingredients that are going into the medicine? If it was

not my hon. friend, I would have suspected that there is some kind of a fear psychosis as far as the multi-nationals are concerned. Why do you allow indiscriminate import? On the one hand, you talk of self-reliance and on the other, you allow this indiscriminate import, which involves foreign exchange.

The WHO itself says that a developing country can do with 200 essential drug formulations. The Hathi Committee scaled it down to 44. The number which is prevalent today is over 15,000. Is there any attempt to sift, minimise, rationalise and opt for the really essential life saving drugs? I do not think so. Is there any monitoring? Or do we allow ourselves to be misled by the nose by the multi-nationals? The cupidity of multi-nationals is matched by the gullibility of administrators, not my hon. friend but by others, who actually determine policy. Sometimes drugs are taken off the approved list without giving the manufacturer an opportunity to prove his case on efficacy, or harmfulness as is reported to have happened in the case of oestrogen, progestogen. Sometimes, drugs that have been taken off the approved list and are prohibited in the countries of their origin — countries that minor the effects of use — are still allowed to be imported and marketed in this country. Is not my hon. friend shocked by the fact that this is so in this country? Drugs which were manufactured and used in advanced countries and subsequently taken off the list because of their deleterious effects, are still allowed to be imported in this country. I can give a few instances. They are HPT, Phenacetin, Dipysone (Analgin), Amidopyrene, which is reported to have some carcinogenic content. Why are these drugs still allowed to be imported by our Government? Is not my hon. friend aware of an attempt to exploit the third world, the attempt of the multinationals to drug the conscience of the third world administrators, to administer anaesthesia to their sense of discrimination? They are experimenting with approved drugs on the

[Shri Ravindra Varma]

population of the third world callously and cynically, treating the people of the third world as guinea pigs to prove and disprove the drugs that they manufacture. They will not market those drugs in their own countries, but they will compel you to market or coax you to market. Not allowing the import or manufacture of drugs accepted in the world market unless there are further clinical trials is another point of arbitrariness that you find. I have referred to these only to show that there is a good deal of arbitrariness in the policy of import, which could be stopped, plugged, at least alleviated if you implement the recommendations of the Hathi Committee. Since my hon. friend has said that this Bill is an attempt to incorporate the major, essential recommendations of the Hathi Committee, I do not know why he did not avail of the opportunity to plug these loopholes. Anyway, I must make an appeal to him along with my hon. friends from this side no one has spoken yet from the other side — to see that the health of the people of the country does not become an object for experimentation by these multinationals.

I do not want to take more time. I have taxed the patience of my hon. friend.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून किस लिए बनाए जाते हैं ? मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि 1940 का बना हुआ यह कानून था, इसके अन्तर्गत कितने लोगों को अभी तक सजा दी गई है । जब कानून लागू नहीं होता तो सरकार कानून को और मजबूत बनाती है और उसकी आड़ में कहती है कि हमने कानून को और भी सख्त बना दिया है और उससे लोगों में भय पैदा हो गया है । मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पहले का एक्ट है उसके क्लॉजेज के अन्तर्गत

कितने लोगों को पनिशमेंट मिला है । सवाल यह है कि आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों न कायम करें लेकिन अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो आपको सफलता नहीं मिल सकेगी । हां, इस विधेयक का एक लाभ यह जरूर होगा कि जो इंस्पेक्टर हैं वे माला-माल हो जायेंगे । इसलिए देखना यह है कि कोई भी कानून बनता है उसको लागू करने की तमन्ना या मजबूती सरकार में है या नहीं या केवल सरकार इसीलिए कानून बनाती है कि लोगों में भय पैदा हो जाए ?

एक बात और भी है । आज महाराष्ट्र में दो हजार कारखाने हैं और 94 इंस्पेक्टर हैं । इसी तरह से सारे देश में लाखों दूकानें हैं । इसके अलावा हिन्दुस्तान में 6 लाख नकली डाक्टर भी हैं । वे रेलगाड़ियों में अपनी रामबाण औषधि लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि दवाई लेते ही रोग गायब । रोग के साथ-साथ रोगी भी गायब । तो ऐसे 6 लाख नकली डाक्टरों का क्या इलाज आप करने जा रहे हैं ? यहां दिल्ली में ही गलियों में कितने ही ऐसे डाक्टर बैठे हुए हैं । तो एक तरफ जहां नकली डाक्टर हैं वहां नकली दवायें भी हैं । इन नकली डाक्टरों की संख्या की बाबत कहा गया है :

This Government is encouraging quacks. About 70 per cent of those who practise medicine in the capital are quacks, and the Government is allowing them to flourish, says Dr. Garg, the newly-elected President of the Indian Medical Association. Dr. Garg told in an interview that many of those practised the native system of medicine, described as Ayurvedic medicine, indiscriminately, without any knowledge of the system. The Indian Medical Association has passed a resolution against such practitioners, and urged the Government to put an end

to it. The Government, however, encouraged these people in the hope that they would go to the rural areas and practise the native system of medicine.

यह 6 लाख नकली डाक्टर्स हैं जोकि रेलगाड़ियों में घूम कर दवाइयां बेच रहे हैं।

इसी प्रकार से यहां पर एसेशियल कमोडिटीज के सम्बन्ध में कानून आता है कि काला-बाजारी बन्द कर दी जायेगी। काला-बाजारी तो बन्द होगो नहीं, हां कानून में सख्ती लाई जायेगी। लेकिन इस बिल में मैंने एक नयी बात देखी है। स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कैसा कानून है जिसमें आप लोगों को छोड़ना भी चाहते हैं ?

जब मैंने क्लोज पढ़े तो मालूम हुआ कि इस कानून में सेक्शन 18 में आपने कुछ तब्दीली नहीं की है—

“From such date as may be fixed by the State Government by notification in the Official Gazette in this behalf no person shall himself or by any other person on his behalf—

(a) manufacture for sale, or sell, or stock or exhibit for sale, or distribute—

(i) any drug or cosmetic which is not of standard quality;.....”

So, I need to read the whole thing. It is further said:

“Provided further that the Central Government may, after consultation with the Board, by notification in the Official Gazette, permit subject to any conditions specified in the notification, the manufacture for sale, sale or distribution of any drug or class of drugs not being of standard quality.”

पहले तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की दवाएं बचने नहीं दी जाएंगी और फिर आप कहते हैं—

No, in certain cases we can allow them.

जब आप एलाउ करना चाहते हैं तो फिर इसका सवाल कहां पैदा होता है। जब आप एलाउ करना चाहते हैं तो you can sell those medicines.

फिर आप एक जगह कहते हैं कि हम सजा देंगे। बड़ा अच्छा कानून बनाया है। उधर से बोलने वालों ने कहा कि बड़ी सजा कर दी है।

मैंने एक क्लोज पढ़ी है —

Clause 30 of the Bill says:—

“(1) Whoever, having been convicted of an offence—

(a) under clause (a) of section 27 is again convicted of an offence under that clause, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine;

Provided that the Court may, for any special reasons to be recorded in writing, impose a sentence of less than two years;”

आपने कानून बनाया है। आप कानूनों में सजा बढ़ाने के लिये कोशिश करते हैं, लेकिन साथ-साथ प्राविजो को भी रखते हैं। He cannot be punished under that Section also.

गिरफ्तार कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, 10 साल की सजा दे सकते हैं, आप सजा तो दे सकते हैं लेकिन आप सेकण्ड पनिशमेंट क्यों देना चाहते हैं।

[श्री मूल चन्द्र डाना]

एक बार किसी आदमी ने गलत दवा बिक्री की। उस समय उसको एक साल की सजा और जुर्माना देकर छोड़ दिया जायेगा। अगर दूसरे साल फिर वह कमूर करता है तो आप कहते हैं कि सजा ज्यादा हो जायगी। मैं कहता हूँ कि जिस आदमी ने नकली दवाई बेची है, उसे दुबारा इजाजत क्यों दी जाती है ?

Why he is again to get permission?

इस तरह से आप उसको भी धंधा करने के लिये परमीशन देना चाहते हैं। एक तरफ आप नकली दवाइयों को बचने वालों को सजा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ, आप उन्हीं को ज्यादा सजा देकर फिर मौका देना चाहते हैं।

तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिन लोगों ने एक बार गुनाह कर दिया है, उनको दुबारा मौका मत दीजिये। दुबारा मौका देने का मतलब होता है कि उसको और चांस मिलता है कि वह किसी और तरीके से अपना धंधा करे, जैसा कि मैंने पहले बताया है।

सजा देने का जो प्रावजन है 19 (बी) — It is stated:

“...and order in writing the person in possession of the drug or cosmetic in respect of which the offence has been, or is being, committed, not to dispose of any stock of such drug or cosmetic for a specified period not exceeding twenty days, or cosmetic or a specified period not exceeding twenty days removed by the possessor of the drug or cosmetic, seize the stock of such drug or cosmetic....”

Again, he can be convicted and he is allowed to manufacture those drugs.

अगर आप एक दफा लाइसेंस दे देते हैं वह नकली दवाई बनाता है और पकड़ लिया जाता है तो आप उसे दुबारा इजाजत देते हैं कि तुम दवाई बना सकते हो। तो मुझे आपकी यह बात ठीक नहीं लगी और जो आपने यह बिल बनाया है, उस बिल के अन्दर आपने जान-बूझकर के लूप-होल्स रखे हैं और वो लूप-होल्स ये हैं कि अगर वो दवा खराब तो है भी वापिस उसको दे सकते हैं। मुझे कुछ मालूम हुआ इस एक्ट के बनाने में केवल आपने सजायें बनायी जरूर हैं। लेकिन सजाओं में यह कहीं नहीं लिखा है कि it may extend to five years. It can be extended to ten years means he can be convicted for one day even. That is the conviction. It will be the mandatory punishment or he will be convicted for one year at least. There is no minimum period prescribed in the whole Bill.

अब आपने कहा है कि हम जो पैटर्नल मैडीसीन हैं, जो हमारे बाप दादा बेचते आये हैं, उन दवाओं का हम छान-बीन नहीं करेंगे। He says:

“Patent or proprietary medicine” means—

‘which is administered by par-enteral route and also a formula-tion included in the authoritative books as specified in clause (a)’.

आज कई लोग गांवों में बैठ हुए हैं जैसे क्वेक्स हैं, वो पुरानी दवायें देते हैं। राजस्थान में उन्होंने कई लोगों की आंखें फोड़ दी दवा लगाकर के। आपने राजस्थान का कोई जवाब नहीं दिया है। आपको मालूम है कि ये क्वेक्स लोग पानी दे देते हैं इन्जेक्शन की जगह और पैसा ले लेते हैं। आपने केवल एक्ट बना लिया। इस में दो चार बातें अच्छी कह

ो है और इस एक्ट को आपने थोड़ा वाइड
र दिया है। जानवरों के हित के लिये,
पदमियों की भलाई के लिये और अब
पने उसमें कास्मेटिक्स भी इन्कलूड कर
या है, साबुन भी है। लेकिन इसकी जांच
गिन करेगा, सोज कौन करेगा। इन्स-
क्टर आपके पास हैं या नहीं। जैसा
ने आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात
जहां दवाइयां बनती हैं वहां भी
न्सपैक्टर नहीं हैं। जो नमूने पकड़े
जाते हैं व बहुत कम पकड़े जाते हैं।
न्सपैक्टर के तो माहवार बंधे हुए हैं।
हां तो जितने ज्यादा सख्त कानून बनायेंगे,
नजराना ले लेंगे। उनकी प्रापर्टी
बढ़ती है। इसलिये मेरा सवाल यह है कि
स कानून को बनाने के लिये पहले आम
हरबानी करके कुछ न कुछ मैन्डेटरी
रिये कि उनको इतनी मिनिमम पीरियड
ने सजा होगी और जो आदमी गलत
वायें बनाते हैं वापिस उनको बनाने की
जाजत मत दीजिये। आप ने इस में
ह भी क्लोज कर दिया कि एक दफा
निशॉर्ट मिल गई फिर उसने गलती की
तीर दुबारा पनिशमेंट मिल गई। ये
स या बीस हजार रुपये का जुर्माना दे
ते हैं और जुर्माना देकर के दो लाख
ना लेते हैं।

यह कानून जो आपने बनाया है,
स कानून में बहुत से लूप-होल्स हैं।
ई दफा जो गरीब लोग हैं, छोटे-छोटे
ोग हैं, फंस जायेंगे और पैसे वाले लाभ
ठायेंगे। तो आपने जो कानून बनया है,
सका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन
म्फोर्समेंट ईमानदारी के साथ हो। मेरी
मझ में मुश्किल है क्योंकि आपने इसको
डेटेल में ले लिया। बिल इस तरह से
तगू करेंगे वो करेंगे लेकिन यह सारा
ीना नहीं है और संभव नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस बिल
का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ
हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Which you
have not supported? You have suppor-
ted all.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: I am
supporting this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have
supported all Bills.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: Yes,
Sir.

पिछली बार जब यहां नकली दवाइयों
के संबंध में बहस हुई थी तो मंत्री जी ने
आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी एक
व्यापक बिल वह लायेंगे। उसके उपरान्त
यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है।
काफी अच्छा बिल है। लेकिन कुछ कमियां
नजर आती हैं और उनको दूर किया
जाना चाहिए।

नकली दवाइयां जो बनाने वाली
कंपनियां हैं, उनके जो डाइरेक्टर हैं,
मैनेजर हैं, या दूसरे लोग हैं, जो इस घंघे
में लगे होते हैं उनका कड़ी से कड़ी सजा
होनी चाहिए। आपने दो साल से दस
साल तक की सजा का प्रावधान किया है
और किसी की मृत्यु हो जाने की हालत
में आजोवन कारावास की सजा भी हो
सकती है यह भी आपने प्रावधान किया है।
मैंने पहले भी सुझाव दिया था और आज
फिर देना चाहता हूँ कि नकली दवाई के
सेवन से अगर किसी आदमी की मृत्यु
हो जाती है तो उस को एक कत्ल का
मामला माना जाना चाहिए और जो सजा
कत्ल करने वाले की दी जाती है वह
सजा इस को भी दी जानी चाहिए। मृत्यु
दंड का प्रावधान निश्चित रूप से इस
में किया जाना चाहिए। इससे नकली
दवाइयां बनाने वालों पर कुछ अंकुश लग
सकेगा।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

दिल्ली में बहुत बड़ी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना पोछे पकड़ा गया था अखबारों में भी यह चीज आई थी। यह कारखाना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर नकली दवाइयों की बिक्री एक बहुत लम्बे अरसे से कर रहा था। पकड़ने के बाद क्या आपको पता चल कि कौन कौन सी नकली दवाइयां उन्होंने बनाई, उन से आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, कितने लोगों को उनसे नुकसान पहुंचा, कितने लोगों को आपने प्रासीक्यूट किया, क्या उनको सजा मिली या क्या कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, इस प्रकार की कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। मैं यह भी चाहता हूँ कि न केवल इस केस की बल्कि आगे भी जो भी केस आपके सामने आयें उनके बारे में जानकारी आप हम को समय समय पर देते रहें।

बहुत से केसेज ऐसे भी देखने में आये हैं, कि डिस्टिल्ड वाटर के स्थान पर खाली पानी भर दिया जाता है, खाली कैप्सूल बन्द करके बेच दिये जाते हैं और लोगों को चकमा देकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोगों की रक्षा करने के लिये आपकी जो मशीनरी है वह क्या कर रही है और किस प्रकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं, यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे। डागा जी ने ठीक ही कहा है कि आपके पास इंस्पेक्टर कम हैं, मशीनरी की कमी है और सब स्थानों पर जा कर आप इसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते आपको अपनी मशीनरी को ठीक करना होगा, इस चीज की ओर ज्यादा व्यापक व्यवस्था करनी होगी। साथ ही डाक्टरों की या दूसरे लोगों की जो ऐसे कारखानेदारों से मिली भगत रहती हैं

इस को भी आपको देखना होगा। इनका कमीशन बंधा रहता है। डाक्टर या अन्य लोग जिन का संबंध नकली दवाइयां बनाने वालों से है, उनकी भी आपको छानबीन करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी इस बुराई को आप दूर कर सकेंगे। आज भी ऐसा होता है कि डाक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है कहीं कहीं वह कह देता है कि अमुक स्थान पर जा कर दवाई ले आया। इस प्रकार उसके रिश्ते बंधे रहते हैं हिस्सा बंधा रहता है। इस प्रकार की बुराइयों को भी आपको दूर करना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जो दवाईयें बनाई जाती हैं और जो विदेशों में रिजैक्ट कर दी गई हैं, बन्द कर दी गई हैं उन पर पाबन्दी लगा दी गई है, उनको हमारे देश में आज भी इम्पोर्ट किया जा रहा है। और यहां तक कहूंगा कि वह अपने प्रभाव के जरिये से, पैसे के असर से कोर्ट में जा करके या अधिकांश कारियों से मिल कर इस बुराई को हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिये आपने क्या व्यवस्था की है ताकि उन दवाओं द्वारा बुरा असर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर न पड़े।

15 hrs.

कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि आई. डी. पी. एल. ने 29 करोड़ रु. का घाटा दिया है। एक तरफ लोगों के पेटेंट मैडिशन न मिले और उस कारखाने में यह पेटेंट मैडिशन पड़ी पड़ी टाइम वाई हो जाये, ऐसे मिसमैनेजमेंट के लिए आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है। प्रोडक्शन किया लेकिन प्रोडक्शन

लोगों तक नहीं पहुंचा और उनके मिस्-मैनेजमेंट की वजह से 29 करोड़ २० का घाटा हुआ उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? और करोड़ों रुपये की जो दवायें टाइम बांड हो गई हैं ऐसी औषधियों के संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है ? आपके अधिकारियों ने इस संबंध में क्या एक्शन लिया है, यह मैं जानना चाहता हूँ । इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में है जिसका असर देश के स्वास्थ्य पर पड़ता है वह प्रोजेक्ट अगर घाटे में चलता हो, वहाँ जो दवायें बनती हैं उनके लिये बाजार में ऐसा वातावरण बने कि वह उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को नुकसान उठाना पड़े, यह दुभाग्यपूर्ण स्थिति है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और जो भी अधिकारी मिस्मैनेजमेंट के लिये जिम्मेदार हों उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलत कार्यवाही वहाँ पर न हो । जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ।

जितनी भी नकली दवायें पकड़ी जाती हैं और जैसा बताया गया कि चार स्थानों के अलावा कैमिकल ऐग्जामिनेशन आदि की व्यवस्था नहीं है, मेरी मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था हर प्रांत में कम से कम एक एक स्थान पर अवश्य होनी चाहिए, ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जहाँ नकली दवाइयों का ऐग्जामिनेशन हो सके । हर स्टेट में कंट्रोलर आफ ड्रग्स की मशीनरी या जांच करने की व्यवस्था का होना जरूरी है । ताकि लोगों की ठीक प्रकार से औषधि उपलब्ध करा सकें । अगर यह व्यवस्था माकूल नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा । इसलिये इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए ।

इन्स्पैक्टर्स का मामला है, आज देश में हर विभाग में इतने इन्स्पैक्टर्स हो गये हैं कि उनकी वजह से आम लोग बहुत तकलीफ में हैं, और खास तौर से धंधा करने वाले लोग बहुत परेशान किये जाते हैं । मैं नहीं चाहता कि जो गलत लोग हैं उनको छोड़ा जाय । मगर यह भी नहीं होना चाहिए कि इन्स्पैक्टर्स की वजह से गलत आदमी तो पंसा देकर छूट जाय और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो । यह व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि गलत तत्वों को सजा दे सकें जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गलत दवायें देने वालों को सजा नहीं दिला पा रहे हैं ।

तीसरी बात यह है कि लाइसेंसिंग पोलिसी में आपको आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए । अभी कहा गया है कि जो आदमी नकली दवाएं बनाने के अन्दर प्रासीक्यूट हो जाता है, उसको सजा हो जाती है । ऐसे लोगों को कंटोन्यू नहीं किया जाना चाहिये । अगर वह कंटोन्यू करेंगे तो निश्चित तरीके से उसी प्रकार की दवाएं वह बनायेंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे । इसलिये उनके लाइसेंस जप्त होने चाहिये । यह व्यवस्था तमाम स्टेट लेवल पर होनी चाहिये ताकि माकूल तरीके से यह काम हो सके ।

एक माननीय सदस्य ने पनिशमेंट के बारे में हार्श-नैस की बात कही । मैं दूसरे प्रकार की बात कहना चाहता हूँ कि जो नकली दवाएं बनाने वाले लोग हैं जिनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है कि 2 से 6 साल, 6 से 10 साल और आजीवन कारावास की व्यवस्था की है, ये और ज्यादा मजबूत होनी चाहिये । सभरी ट्रायल आवश्यक है । क्रिमिनल केसेज जो 2, 2 और 4, 4 साल तक

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

चलते हैं, उनके फैसले न होने की वजह क्रिमिनल्स, जिन्होंने निश्चित तरीके से इस प्रकार के क्लाइम किये हैं वह भी टाइम निकल जाने से, गवाह बेकार हो जाने से छूट जाते हैं। आपने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है वह निश्चित तरीके से इन केसेज के लिये बिल्कुल सूट करता है। इसलिये समरी ट्रायल के साथ-साथ और हार्शनेस ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिये तभी यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

आपने आयुर्वेद के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान किया है। इसमें भी बड़े घपले होते हैं। इसमें भी लोग लो-क्वालिटी की सामग्री खरीदकर जिस प्रकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं वह भी विचारणीय प्रश्न है। आपने आयुर्वेद की नकली दवा बनाने वालों के लिये कम सजा रखी है, इससे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। एलोपैथी में जिस प्रकार की आपने व्यवस्था सजा की की है उसी प्रकार आयुर्वेद के लिये भी होनी चाहिये। जिन लोगों की दवाओं से मृत्यु हो जाती है उनको आजीवन कारावास की सजा आयुर्वेद की नकली दवाओं के बनाने वालों के लिये भी जरूरी है जो कि इसमें नहीं है। इसके लिये आपने 1, 2 साल की सजा दी है। मेरा कहना है कि नकली दवा चाहे आयुर्वेद की हो, एलोपैथी की हो या यूनानी की हो, इनके बनाने वालों के साथ सजा में भेदभाव नहीं होना चाहिये। मृत्यु सभी हालात में और बीमारी में एक है, नकली दवाओं से जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वह भी एकसा है, इसलिये कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिये। जो गलती करता है, चाहे आयुर्वेद की दवाओं में, एलोपैथी की दवाओं में हो या यूनानी में हो, अन्य

किसी भी प्रकार की शोषण में हो उन सब को माकूल सजा होनी चाहिये, तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक बैठेगी।

मैं एक नजीर देना चाहता हूँ। हमारे यहां महा-योगीराज गुग्गल बनता है जिसमें गुग्गल से यह दवा बनाते हैं। राजस्थान में घटिया किस्म की गुग्गल खरीदी गई। वहां का जो आयुर्वेद का डायरेक्टर है, उसने उस गुग्गल को नष्ट करवा दिया अपने आपको बचाने के लिये। इस प्रकार से गलत गुग्गल खरीदकर लोगों के साथ जिस प्रकार का वह खिलवाड़ करने वाला था, ऐसी शोषणियां जो भी बनाने वाले हैं चाहे भस्म हो या च्यवनप्राश हो या अन्य प्रकार की जो भी सामग्री आयुर्वेद या यूनानी में बनाई जाती है, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की हैं, उनका निर्माण करने वालों की, चाहे वह सरकारी कारखाना हो या प्राइवेट सेक्टर हो, निगरानी सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। तभी हम उच्च स्तर की दवाएं लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे।

गलत दवाएं खाने से जिन लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है—भले ही उनकी मृत्यु न हो, लेकिन उन्हें किसी किस्म की बीमारी या तकलीफ हो जाती है—इस कानून में उन्हें कम्पेन्सेट करने का प्रावधान होना चाहिये। दवा बनाने वाली कम्पनी द्वारा वह कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए।

इस बिल में साबुन और अन्य ग्यूटी प्रसाधनों के सम्बन्ध में भी प्रावधान किया गया है। ऐसे कितने ही प्रकार के साबुन और अन्य प्रसाधन हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देते हैं। सरकार को इस तरफ भी तवज्जुह देनी चाहिए और आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़

करने वाले लोगों को सख्त सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे गलत काम करने वाले अन्य लोगों पर उचित प्रभाव पड़ेगा।

इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने गलत दवाएं बेच कर करोड़ों और अरबों रुपए कमाए हैं। हमारे देश के 50 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को इन रिकेटियर्स से बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि देश के आम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएं।

हमारे यहां हजारों की तादाद में डाक्टर बेकार हैं। दूसरी तरफ आज भी शहरों और गांवों की डिस्पेंसरियों और हेल्थ सैटर्ज में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार यह कैसी व्यवस्था कर रही है कि हजारों डाक्टर बेकार हैं और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज एवलेवल नहीं होती हैं। इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हम जितने डाक्टर तैयार करते हैं, अगर हम उन्हें खाना न सकें, तो मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थाओं के अस्तित्व का क्या लाभ है, जिन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ? हमें यह प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य-सेवाओं का लाभ देश के गांवों के लोगों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और पिछड़े लोगों को मिले। हमें ग्रंथेपन, टी बी, पोलियो, कुष्ठ रोग की रोक-थाम के लिए प्रिवेंटिव मेजरज लेने चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वह शहरों, कस्बों और गांवों में बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजरज ले सकें। आज दिल्ली तथा दूसरे शहरों में डेंगू बुखार फैला हुआ है। क्या इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजरज नहीं ले सकते थे ?

अगर हेल्थ डिपार्टमेंट मजबूत होता तो शहर के गन्दे पानी तथा दूसरी गन्दगी को हटाया जा सकता था। लेकिन आपने क्या प्रिवेंटिव मेजरज लिए ? किसी रोग का इलाज और प्रिवेंटिव मेजरज—यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तक आप इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I call Mr Ramavatar Shastri to speak. He would be the last speaker and he would complete the speech by 3.30 and the Minister will reply the next day.

Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष, जी, जो विधेयक हमारे समने उपस्थित है उसका तो समर्थन होना ही चाहिए। लेकिन इसके जो उद्देश्य बताए गए हैं उनको ठीक तरीके से हम हासिल कर सकें—इस पर ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस विधेयक के जरिए नकली दवा बनाना, उसे बेचना, आयात करना—इन सारी बातों पर नियन्त्रण लगाने की चेष्टा की गई है। इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे मुल्क में नकली दवायें किस तरह से बिक रही हैं इसको हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा लगता है कि नकली दवाओं का सभी जगह साम्राज्य है।

मैं अपने बिहार राज्य की बात जानता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में समाचार आया कि नालन्दा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में नकली दवा बनाने वाला कोई कारखाना पकड़ा

[श्री रामावतार शास्त्री]

गया । तो ऐसे कारखाने भी हैं और बेचने वालों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है । बिहार में नकली दवा बनाने वाले और उनको बेचने वाले समझते हैं कि वहां की सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती है । अगर कुछ करने का प्रयास भी करे तो कुछ पैसा-कौड़ी देकर बे छूट जाते हैं । इस तरह से भ्रष्टाचार भी इससे जुड़ा हुआ है । यदि इसको आप बन्द कर सकें तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे । आज नकली दवाओं की वजह से देहातों के ज्यादा लोग मर रहे हैं । वैसे देहातों की गिनती तो हमारे पास रहती नहीं है । शहरों में अखबार हैं, शहरों में सरकार विद्यमान है, शहर के लोग आन्दोलन कर सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं इसलिए उनकी बात सरकार को मालूम हो जाती है । परन्तु नकली दवाओं का असर देहातों में किस रूप में पड़ता है और कितने लोग वहां मरते हैं इसका पूरा पूरा अन्दाज सरकार को नहीं है मैं समझता हूं नकली दवाओं के ज्यादातर शिकार गरीब देहाती लोग होते हैं जोकि गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इसलिए आपको सबसे अधिक ध्यान उनकी तरफ देना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नकली दवा बनाने वाले, उसको बेचने वाले का आयात करने वाले मनमौजी तरीके से अपने काले कारनामों को जारी न रख सकें । मेरे विचार से इस विधेयक को भी यही उद्देश्य है ।

अभी मेरे पूर्ववक्ता ने ठीक ही कहा है कि केवल एलोपैथिक दवायें ही नकली नहीं बन रही हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में भी यह बात चल रही है । इसलिए उधर भी आपको ध्यान देना होगा । ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहे और

दूसरी तरफ इस तरह के लोग आपकी आंखों से ओझल हो जायें ।

एक जिक्र हुआ च्यवनप्राश का, वो आयुर्वेद वाले बनाते हैं । पुराने जमाने के च्यवनप्राश की क्वालिटी कैसी होती थी और अब कैसी होती है, यह तो आपको अन्दाज जरूर होगा, उसमें भी मिलावट । यानी कोई चीज ऐसी नहीं है । जिसमें मिलावट नहीं है । मैं एक आयुर्वेद कारखाने की यूनियन से सम्बद्ध हूं, नाम नहीं लूंगा । लेकिन मैं उससे सम्बद्ध हूं और मैं जानता हूं कि वहां के मजदूर बताते हैं कि कैसे-कैसे चारसो बीस किया जाता है । तो इसीलिए मैंने कहा कि यह सब जगह होता है । तो यह केवल बेचारे उस कारखाने वाले का ही हिसाब नहीं है । यह तो जनरल बात बता रहा हूं कि आयुर्वेदिक कारखानों या यूनानी दवाई बनाने वालों या दूसरी देशी प्रणाली वाली दवाई बनती हैं या कारखाने हैं, उनकी तरफ भी आपको नजर रखनी चाहिए । अगर इधर नजर नहीं रखेंगे तो जाहिर बात है दूसरों को आप पकड़ लेंगे और असल बात यही है कि जब अमल में आप इस कानून को लाइएगा, तो दो बरस, एक बरस जो आपने कैटेगरी रखी है, अगर उसके मुताबिक सचमुच में सजा दें और ज्यादा लोग सजा पा जाएं तब निश्चित रूप से इस तरह का व्यापार करने वालों की संख्या में कमी आयेगी । वें समझते हैं कि सजा होगी और सरकार पकड़ेगी तो कुछ ले-देकर के हम छूट जायेंगे । इसीलिए उनका धंधा चलता रहता है, उसमें वृद्धि होती है, कोई कमी नहीं आ पाती ।

अगर कमी आई है पिछले दो-चार सालों के अन्दर नकली दवाई बनाने वालों में या बेचने वालों में या आयात करने वालों में, तो हम जानना चाहेंगे और सदन जानना चाहेगा कि अगर इसका

आपके पास कोई फीगर हो, तो आप जरूर दीजिए, ताकि अन्दाज लगे कि आपके कानून के जरिए उन पर असर पड़ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल बीमारियां तो बढ़ रही हैं लेकिन एक जमाने में कहा जाता था कि मलेरिया को हमने जला-वतन कर दिया, निष्कासित कर दिया हिन्दुस्तान से। लेकिन मलेरिया हिन्दुस्तान की राजधानी में भी आ घमका और पटना में भी। मैं तो दिल्ली की बात बता रहा हूँ जहां आप हैं। आपकी नजर है, सरकार की नजर है। आज हम लोग एक जगह बैठकर के सभा में, बैठक में विचार कर रहे थे, अन्न संकट के बारे में।

दिल्ली में राशन सबसे ज्यादा दिया जाता है। इतना राशन किसी भी राजधानी में या शहर में नहीं दिया जाता। इसीलिए कि यहां के लोगों को सरकार थोड़ा संतुष्ट करके रखना चाहती है ताकि हंगामा नहीं हो। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मलेरिया यहां पहुंच गया, डेन्गू यहां पहुंच गया, अन्त्रशोथ की बीमारी यहां पहुंच जाती है। आपने यह भी कहा था कि बड़ी चेचक वाली बीमारी नहीं होगी, वह भी फिर पहुंचने लगी है, जगह-जगह। कहने का मतलब यह है कि बीमारियां अपना पंजा गरीबों पर जमाती हैं, अमीरों पर क्यों जमायेंगी ?

हमारे बीड़ी मजदूर 60 से 70 प्रतिशत तक यक्ष्मा से पीड़ित हैं। सीमेन्ट के कारखाने में हम एक जगह गए थे। सीमेन्ट के कारखाने में ज्यादातर लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित ही रहे हैं। बीमारियां तो बढ़ रही हैं लेकिन दवाई उन्हें ठीक से नहीं मिलती, जाली मिलती है। सही दवा नहीं मिलती और जाली दवा के लिए भी उनको दाम

ज्यादा देना पड़ता है। एक तो जाली दवा और उस पर दाम ज्यादा। तो दामों की तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका उद्देश्य है आप कहते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे, गरीबी मिटायेंगे। गरीब ज्यादा हैं हमारे सूबे में बिहार में 69 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको सस्ती दवा नहीं मिलेगी तो वे बीमार होकर मर जायेंगे, तो सस्ती दवा आप उनको दीजिए। ये दवाइयां कौन बनाते हैं। हमारे जो उद्योग धंधे हैं वे तो बनाते ही हैं, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी बनाती हैं, वे भी इस काम में बहुत आगे बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उन पर आप नकेल नहीं लगा पाते हैं। उनको भी आप ने खुला छोड़ा हुआ है। आपने कह दिया है आओ जितना जनता को लूटना चाहो लूटो, आपको आजादी है। यहां सब को जनता को लूटने की आजादी है। पूंजी-पति भी लूटता है, दवा बनाने वाला भी लूटता है, दूसरे भी लूटते हैं। उनको आप क्यों नहीं रोकते। अगर वे नफली दवाएं बनाती हैं तब तो आपको और भी मौका है उनको यहां से निकाल बाहर करने का। वे हमारी जनता के जीवन के साथ अगर खिलवाड़ कर रही हैं तो आप बड़ी आसानी से उनको यहां से जाने के लिए कह सकते हैं। मुझे पता नहीं दस बीस या सौ कम्पनियां जीवन रक्षा दवाएं बना रही हैं। जितनी भी बना रही हों, मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन रक्षक दवाएं सरकार को स्वयं बनानी चाहियें और किसी भी निजी कारखानेदार को इनको बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, फिर चाहे वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हों या हमारे देश की कम्पनियां हों। जीवन रक्षक दवाओं के बारे में तमाम जितनी कम्पनियां हैं, दवा के कारखाने हैं उनके बारे में हाथी

[श्री राम वतार शस्त्री]

कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। जब भी इसके बारे में सदन में सवाल उठता है सरकार चुप्पी साध लेती है, कोई न कोई बहाना बना कर चिकनिया पार हो जाती है, निकल भागती है, उस रिंग से निकल जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं आप नहीं करना चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या है? आप आई० डी० पी० एल० चला सकते हैं तो क्यों इनको भी आप नहीं चला सकते हैं। यह अलग बात है कि वह घाटे में चल रहा है। बहुत से सार्वजनिक संस्थान हैं, कारखाने हैं जो बदइतेजामी की वजह से, गलत नीतियों की वजह से, जो उनको चलाने वाले हैं पूंजीपतियों के साथ उनकी साठगांठ होने की वजह से, वे घाटे में चलते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी कारखाने हैं जो नफे में चलते हैं। आई० डी० पी० एल० जब आप चला सकते हैं तो फिर दूसरी दवा कम्पनियां आप क्यों नहीं चला सकते हैं। बार बार इस काम से आप इन्कार क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण आप करें तो निश्चित रूप से काम ठीक होगा।

ऐसी दवाएं भी बड़ी संख्या में आज देश में बिक रही हैं जो टाइम बाई हो गई होती है, जिन का समय बीत गया होता है, जिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई होती है। उनको भी आप पकड़िये उन से भी बहुत ज्यादा लोग मरते हैं।

मैं चाहता हूँ कि आप एक व्यापक विधेयक इन सब बातों के लिए लाएं। ये चीजें इस विधेयक में नहीं हैं। इसमें केवल नकली दवाओं को रोकने की आपने व्यवस्था की है जो अच्छी बात है इस काम में सब आपके साथ सहयोग करेंगे, जनता भी आपके साथ सहयोग करेगी। लेकिन कमियों के बावजूद आप इस कानून को ठीक से लागू करें। तभी कुछ जनता का भला हो सकेगा, गरीबों का और दवाइयां इस्तेमाल करने वालों का भला हो सकेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply on Monday. Now, the House will take up Private Members' Legislative Business.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-NINTH REPORT

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th October, 1982."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th October, 1982."

The motion was adopted.